**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 9798/2026
CNR: RJHC020583002026 | URN: CRLMB / 18124U / 2026

Ranjeet Gurjar S/o Sardar Gurjar, Aged About 30 Years, R/o Plot No. 14, Gurjaron Ki Dhani, Ponchuram Patel Ki Dhani, Dhabas, Police Station Karni Vihar, Ajmer Road, Jaipur, Presently Residing At Plot No. 34 Hari Nikunj, F-Block, Peepla Ki Dhani, Mahapura, Police Station Bhankrota, Jaipur. (Presently Confined In District Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Rajneesh Gupta |
| For Respondent(s) | : | Mr. Shree Ram Dhakad, PP<br>Mr. Bharat Yadav<br>for Complainant |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**08/09/2026**

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–श्यामनगर, जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 156/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 318(3), 316(4) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थी–अभियुक्त परिवादी/विद्यालय 'रेयान इन्टरनेशनल स्कूल' में कार्यरत था। उनका तर्क है कि मामले में सम्पूर्ण अपराध वर्ष 2022 से 2025 के मध्य होना बताया गया है, जबकि प्रार्थी–अभियुक्त वर्ष 2017 से ही परिवादी/विद्यालय में कार्यरत था तथा पूर्व में ऐसी कोई शिकायत नहीं थी। उनका तर्क

है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में 25 लाख रूपये का गबन करने का आक्षेप है जबकि अनुसंधान के बाद आरोप पत्र में 14 लाख रूपये की राशि का ही गबन होना बताया गया है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त ने परिवादी/विद्यालय की नौकरी छोड दी थी, जिसके कारण यह मिथ्या रिपोर्ट उसके विरूद्ध दर्ज करवाई गई है। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र धारा 318(3), 316(4) बी.एन.एस. के अपराधों में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अधिकतम क्रमशः 7 वर्ष और 5 वर्ष के कारावास की सजा से दण्डनीय है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त 4 माह 20 दिन से न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। मामले में अनुसंधान पूर्ण किया जाकर आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाये। अपने तर्कों के समर्थन में उनकी ओर से निम्न न्यायिक विनिश्चय प्रस्तुत किए गये :–

1. Ashok Dhingra Vs.N.C.T. of Delhi
   (2000) 9 Supreme Court Cases 533

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक व विद्वान अधिवक्ता परिवादी का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने परिवादी/विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा जमा कराई गई फीस विद्यालय के बैंक खाता में जमा नहीं करवा कर इस राशि का दुर्विनियोग किया है। प्रार्थी/अभियुक्त ने कहीं भी यह नहीं कहा कि उसने उक्त राशि विद्यालय के बैंक खाते में जमा करवाई हो। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त परिवादी/विद्यालय की सेवा में था तथा उसे इस सम्बन्ध में नोटिस बाद में दिया गया था। उनका तर्क है कि विद्यालय की फीस की जिस राशि का गबन किया गया वह राशि प्रार्थी/अभियुक्त और उसके परिवारजन पूजा गुर्जर आदि के बैंक खाते में जमा हुई है तथा जो नकद राशि उसके द्वारा ली गई, उसके सम्बन्ध में सम्पूर्ण विवरण तथा साक्षीगण के कथन पत्रावली पर उपलब्ध है। गंभीर अपराध है। अतः उसे जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि वह परिवादी/विद्यालय मे वर्ष 2017

से ''कैशियर'' के पद पर कार्यरत था, जहां उसका दायित्व था कि वह छात्रों के अभिभावकों से फीस लेता तथा इस राशि को परिवादी/बैंक की एचडीएफसी बैंक खाते में जमा करवाता। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित तथ्यों के अनुसार दिनांक 17.3.2025 को परिवादी द्वारा की गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि कुछ छात्र, जो फीस डिफाल्टर पाये गये, के नाम फीस डिफाल्टर्स की सूची में नहीं थे। आगे जांच करने पर यह पाया गया कि प्रार्थी–अभियुक्त अपने व्यक्तिगत खाते में फीस की राशि का ऑनलाईन भुगतान प्राप्त कर रहा था तथा नकद राशि भी प्राप्त कर रहा था। जांच से प्रकट हुआ कि प्रार्थी/अभियुक्त ने फीस के सम्बन्ध में फर्जी रसीदें भी जारी की थी, किन्तु फीस संग्रहण को सॉफ्टवेयर में अपटेड नहीं किया। पत्रावली पर परिवादी/विद्यालय द्वारा उन 45 छात्रों की सूची भी जारी की गई है, जिनकी फीस प्रार्थी/अभियुक्त को ऑनलाईन उसके अथवा उसके परिवारजन पूजा के बैंक खाते में भुगतान की गई तथा कुछ छात्रों की ओर से फीस की नकद राशि दिया जाना भी इस सूची से दर्शित हो रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त ने सोचे–समझे ढंग से योजनाबद्ध तरीके से लम्बी अवधि में अपराध कारित कर 14 लाख रूपये से अधिक राशि का गबन किया है तथा विद्यालय के पोर्टल पर डिफाल्डर्स की सूची में छात्रों का नाम पर इसलिए नहीं दिखाया कि परिवादी/विद्यालय को इस गबन का पता नहीं चल जाये। बाद में प्रार्थी–अभियुक्त ने उक्त राशि अपने परिवारजन पूजा के बैंक खाते में जमा करवाई तथा इस राशि को वापिस जमा करवाये जाने का कोई प्रयास किया जाना भी दर्शित नहीं हो रहा है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

23/JITENDRA SINGH PANWAR